मूल वाद में डिक्री

(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

न्यायालय सहायक कलक्टर (SDO) मावली, जिला–उदयपुर

पीठासीन अधिकारी : श्री रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S

उनवान

1. श्री गटुराम पिता परथा डांगी निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर।
2. श्री नाथुलाल पिता किशनलाल गुरू निवासी घणोली तहसील मावली जिला उदयपुर।

..................वादीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, तहसील कार्यालय मावली जिला उदयपुर।
2. पटवारी, पटवार हल्का नामरी तहसील मावली जिला उदयपुर।

.............प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

मुकदमा न0 : 84/25 (वाद) GCMS No. – 2025/172

यह मुकद्धमा आज वास्ते इन्फिसाल कतई रुबरु रमेश सीरवी पुनाडिया, R.A.S. मिनजानिब मुद्धायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि :–

वादीगण का वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का रजिस्टर्ड विनिमय पत्र (एक्सचेन्ज डीड) के आधार पर स्वीकार किया जाकर डिक्री किया जाता है कि मौजा घणोली पटवार हल्का नामरी तहसील मावली की नकल जमाबन्दी सम्वत 2077–80 के खाता संख्या 255 पर दर्ज आराजी नम्बर 1207, 1209, 1210, 2436/1211, 2437/1212 किता 5 कुल रकबा 0.3965 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 2 नाथुलाल पुत्र किशनलाल के नाम दर्ज है, के बजाय वादी संख्या 1 गटूराम पुत्र परथा के नाम दर्ज की जावे।

इसी प्रकार खाता संख्या 701 पर दर्ज आराजी नम्बर 2589/361, 2591/362, 2594/363 किता 3 कुल रकबा 0.3264 हैक्टेयर भूमि वादी संख्या 1 गटूराम पुत्र परथा के नाम दर्ज रिकॉर्ड है, के बजाय वादी संख्या 2 नाथुलाल पुत्र किशनलाल को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत से आज तारीख 19.05.2025 को जारी की गई।

(रमेश सीरवी पुनाडिया R.A.S.)
सहायक कलक्टर
(SDO) मावली

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2025.07.14 11:41:12 IST
Reason: SelfAttested